प्रेस विज्ञप्ति

13-03-2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने 11.03.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत ए.एस. हेगड़े और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 11.03.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने सीबीआई, भोपाल द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, भोपाल के तत्कालीन प्रबंधक ए एस हेगड़े और तत्कालीन सहायक प्रबंधक रविन्द्र कुमार ने वर्ष 2006 से 2009 के बीच भोपाल शाखा में पदस्थ रहते हुए मेसर्स तनुश्री होम्स के नाम और शैली में बिल्डर द्वारा मकानों के निर्माण के लिए विभिन्न उधारकर्ताओं को आवास ऋण स्वीकृत किए, जिसका प्रतिनिधित्व इसके प्रोप. रवि साहू द्वारा किया गया। ये ऋण उपरोक्त बैंक अधिकारियों द्वारा उक्त बिल्डर फर्म के साथ मिलीभगत करके, अनुमोदित लेआउट योजना, कॉलोनाइजर लाइसेंस, राजस्व भूमि के रूपांतरण के दस्तावेज जहां स्थान उधारकर्ताओं के नाम पर बेची/ आवंटित की गई हैं, उधारकर्ताओं का केवाईसी आदि जैसे बुनियादी दस्तावेज प्राप्त किए बिना ही, स्वीकृत और वितरित किए गए। यद्यपि ऋण राशि मेसर्स तनुश्री होम्स के चालू खाते में जमा कर दी गई थी, लेकिन बिल्डर द्वारा मकानों का निर्माण कभी नहीं किया गया, जिसके कारण बैंक को लगभग 1.971 करोड़ रुपये का डिफॉल्ट झेलना पड़ा।

इससे पहले, ईडी ने 09.02.2024 को अस्थायी रूप से अचल संपत्तियां जब्त की थीं, जिसमें भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित 12 अचल संपत्तियां शामिल थीं, जिनकी कीमत 1.35 करोड़ रुपये थी। इसके बाद, उक्त पीएओ की पुष्टि विद्वान न्याय निर्णयन प्राधिकरण, पीएमएलए, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 01.07.2024 के आदेश के माध्यम से की गई।